**राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग**

**आदेशिका**

**दिनांक 10.06.2017** **परिवाद संख्या 17/17/2186**

**समक्ष : एकलपीठ**

**माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया**

आज दिनांक 10.06.2017 के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के अनुसार बिजली कम्पनी डिस्कॉम ने जयपुर शहर में नगर निगम के अधीन ट्रैफिक सिग्नलों व सी.सी.टी.वी. कैमरों के कनेक्शन काटने व मीटर हटाने शुरू कर दिये हैं। इस कार्यवाही में कई क्षेत्रों के ट्रेफिक सिग्नल व सी.सी.टी.वी. कैमरों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इसी के परिणामस्वरूप चौमू सर्किल पर एक दर्दनाक हादसे में पांच जनों की मृत्यु हुई, जिस पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। परन्तु आज के समाचार के कारण से अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने के कारण से नया प्रकरण दर्ज करना आवश्यक हुआ है।

समाचार के अनुसार बिजली कम्पनी के बिजली का बिल 02 वर्ष से नहीं चुकाया गया है। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन बिलों का भुगतान किया जाता था। गत 02 वर्ष से कनेक्शन नगर निगम के नाम है तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के पास आ गई है। नगर निगम का कहना है कि बिजली के बिल प्राप्त नहीं हुए व

बिजली का कनेक्शन बिना नोटिस काट दिया। इसके विपरीत अधिक्षण अभियन्ता, विद्युत निगम का कथन प्रकाशित है कि :-

> "कनेक्शन काटने की रूटीन प्रक्रिया है। आमजन की तरह पुलिस का भी बिना नोटिस दिए भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटते हैं।"

यह सही है कि बिजली के बिल का भुगतान नहीं किये जाने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अन्तर्गत विद्युत कम्पनी को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के अधिकार दिये गये हैं, परन्तु ये अधिकार बिना किसी विवेक के उपयोग करने का यह प्रकरण प्रतीत होता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में बिजली के बिल की वसूली के लिए बिजली का कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद करना एकमात्र तरीका नहीं है। इसी धारा 56 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिजली बिल की बकाया राशि वसूली के अन्य तरीकों के साथ में विद्युत सम्बन्ध काटने का अधिकार विद्युत कम्पनियों को है। यह भी सही है कि आम नागरिकों के व्यक्तिगत व हर श्रेणी के विद्युत कनेक्शन बिल की अदायगी नहीं करने पर काटे जाते हैं और विद्युत बिल की राशि वसूल की जाती है तथा इसे एक कारगर उपाय के रूप में प्रयोग भी किया जा रहा है। सार्वजनिक कनेक्शन, जनता के हितार्थ कनेक्शन, जनता के लाभ के लिए किसी भी विभाग के मार्फत या विभाग के नाम से लिये जा सकते हैं, जिसकी वास्तविक उपभोक्ता (user) जनता है, विभाग या स्थानीय निकाय जनता के प्रतिनिधि

(agent) मात्र हैं। ऐसे सार्वजनिक हितार्थ लिये गये विद्युत कनेक्शन के लाभार्थी स्थानीय निकाय के अधिकारी व कर्मचारी मात्र नहीं होते, इसकी लाभार्थी आम जनता है और आम जनता में, स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग के कर्मचारी भी मात्र आम जनता के रूप में, विद्युत सम्बन्ध व उसकी सुविधाओं का उपयोग–उपभोग कर सकते हैं। स्थानीय निकाय व सरकारी विभाग की गम्भीर लापरवाही के कारण जन सुविधाओं के विद्युत कनेक्शन काटने का अधिकार विद्युत निगम को कानूनी तौर पर अगर प्राप्त भी है तो इसका उपयोग किसी भी सूरत में दूसरे विकल्प उपलब्ध होने के कारण से नहीं किया जाना चाहिए। यह विवेकपूर्ण अधिकारों के प्रयोग के अनुसार है, मात्र बिना विवेक अधिकारों का प्रयोग निरंकुश व अमानवीय भी हो सकता है और यह प्रकरण इसी का एक उदाहरण है जिसमें सरकार के विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय व विद्युत कम्पनी तीनों का सम्मिलित उत्तरदायित्व है।

ट्रैफिक सिग्नल व सी.सी.टी.वी. कैमरों का राजस्थान की राजधानी जयपुर में विद्युत निगम द्वारा सम्बन्ध विच्छेद कर आम नागरिकों की जिन्दगी से खिलवाड व साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर से नियन्त्रण हटाने का यह खुला प्रयास है। इससे यह भी स्पष्ट है कि विद्युत कम्पनियों को मात्र अपने अधिकारों का तो ज्ञान है, परन्तु अधिकारों के विवेकहीन प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर इस प्रकार की छूट दे दी जावे तो अपराधी अपनी बकाया राशि के लिए किसी की

जान भी ले सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग अथवा सरकारी कम्पनी द्वारा स्वयं की वसूली के लिए सम्पूर्ण जनता की जान व सुरक्षा खतरे में नहीं डाली जा सकती है।

प्रथम दृष्ट्या स्वयं विद्युत निगम व इसके अधिकारी/कर्मचारी जनता की सुविधा के विद्युत बिल की राशि समय पर वसूल नहीं करने के दोषी हैं। विद्युत निगम ऐसे कमचारियों की सूचना तत्काल आयोग को प्रदान करें व निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करावें कि :-

1. उक्त (खबर में वर्णित) विद्युत कनेक्शन कब-कब किसके नाम थे व अब किसके नाम पर हैं।

2. विद्युत राशि भुगतान करने के लिए किन-किन तारीख को किन-किन के नाम से बिल व नोटिस जारी किये गये थे।

3. इस बकाया राशि की वसूली के लिए इस पूरे समय में विद्युत सम्बन्ध काटने के नोटिस व विद्युत सम्बन्ध काटने के अलावा बकाया राशि वसूली के लिए अन्य कोई तरीके अपनाये गये अथवा नहीं, अगर अन्य तरीके नहीं अपनाये गये तो नगर निगम अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बैंक खाते, अफसरों की कारें, ए.सी., पंखे, टेबल-कुर्सियां तथा यहां तक कि भवन कुर्क कर वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

4. समय पर विद्युत राशि की वसूली नहीं करने के कारण से विद्युत कम्पनी द्वारा अपने अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई।

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर स्पष्ट करें कि ऊपर अंकित विद्युत कनेक्शन कब नगर निगम के नाम से हुआ। विद्युत निगम द्वारा नगर निगम को बिजली के बिल प्राप्त हुए अथवा नहीं। विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत विच्छेद के पूर्व नोटिस दिये गये अथवा नहीं। विद्युत बिल का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकारण, जयपुर स्पष्ट करें कि विद्युत बिल राशि का समय पर भुगतान करना तथा ट्रेफिक सिग्नल व सी.सी.टी.वी. कैमरे बिना रूकावट चल सकें, इसके लिए प्राधिकरण ने क्या उपाय कर रखे हैं।

उपर्युक्त सूचनाओं में से जो भी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है, वह दिनांक 12.06.2017 को दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे व शेष सूचनाएं पेश नहीं कर सकने का कारण अवगत करावें।

ऊपर वर्णित कारणों के अलावा समय के अभाव से अन्य विस्तृत कारण अंकित नहीं कर यह अन्तरिम आदेश पारित किया जाता है कि **विद्युत कम्पनी बिना कोई देरी के यथासम्भव आज ही, अधिकतम सीमा दो दिवस में, दिनांक 12 जून, 2017 को दोपहर 02.00 बजे से पूर्व बिना किसी शर्त के विद्युत सम्बन्ध जोडकर व्यवस्था को सुचारू करें। अगर विद्युत**

**सम्बन्ध चालू नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं सोमवार, दिनांक 12 जून, 2017 को दोपहर 03.00 बजे आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से कारण सहित उपस्थित रहेंगे।**

जहां तक बकाया राशि का सवाल है, इसके सम्बन्ध में जो भी विवाद है या बकाया राशि रह गई है, निगम/विभाग चाहे तो अपनी लडाई अन्य तरीके से जारी रख सकेंगे। इस निर्देश के साथ नगर निगम अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग जो भी इस बकाया राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदाई है, विद्युत निगम की 50 प्रतिशत तक व न्यूनतम 10 प्रतिशत तक राशि सोमवार, दिनांक 12 जून, 2017 तक चाहे तो यह राशि under protest जमा करायेंगे। अगर नगर निगम अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग में से कोई भी विद्युत कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो भी विद्युत कम्पनी विद्युत सम्बन्ध बिना किसी देरी के चालू करेगी। विद्युत निगम अन्य तरीकों से राशि वसूल कर सकेगा।

इस अन्तरिम आदेश का एक और कारण है, बकाया राशि विद्युत निगम के लिए अति आवश्यक राशि नहीं है और इसका प्रमाण स्वयं विद्युत कम्पनियों द्वारा ही दिया गया है व विद्युत कम्पनियों ने 02 वर्ष तक बिना किसी स्थगन आदेश अनेक बार मांगी जा रही राशि वसूल नहीं की गई है। राशि कुछ समय बाद प्राप्त हो इससे कोई फर्क नहीं पडता है, परन्तु आम जनता का जीवन व उनकी सुरक्षा आयोग के लिए सर्वोपरी है तथा अपराधियों की रोकथाम के लिए साधन हटाना आम जनता के मानव

अधिकारों का हनन है। विद्युत कम्पनी, जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण व सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान आदेश की भावना को समझेंगे तथा तत्काल इस आदेश की पालना करेंगे।

प्रकाशित खबर व इस आदेश की एक-एक प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर, अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्कॉम जयपुर, आयुक्त, जयपुर नगर निगम, जयपुर, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर तथा मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को जरिये ईमेल व व्यक्तिगत रूप से तत्काल उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली दिनांक 12.06.2017 को पेश हो।

**(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)**
**अध्यक्ष**